फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — बनाम — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री शंकरलाल गोयल
निवासी 25सी, सार्दुलपुरा आवासीय
कॉलोनी नं. 1 सिरोही
जिला सिरोही।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सिरोही

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 — मुकदमा नं. 11 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
24.02.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिरोही को दिनांक 03.12.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि उपखण्ड कार्यालय सिरोही के पत्र क्रमांक/आरटीआई/2023/366 दिनांक 24.08.2023 द्वारा श्री छोगाराम पुत्र श्री भीखाराम रावल निवासी गोयली को भेजे गए पत्र की जांच तहसीलदार सिरोही से करवाई गई, उक्त जांच रिपोर्ट की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति एवं उपखण्ड कार्यालय सिरोही के पत्र क्रमांक/जा.प्र./2024/939 दिनांक 20.11.2024 द्वारा अपीलांट को भेजे गए पत्र के आधार/तथ्यों एवं साक्ष्यों की प्रमाणित प्रति एवं सतर्कता समिति जिला कलक्टर कार्यालय सिरोही के पत्रांक/सतर्कता/2के/204–10 दिनांक 14.03.2000 एवं पत्रांक/सतर्कता/2000/569–571 दिनांक 03.05.2000 के द्वारा श्री छोगाराम पुत्र श्री भीखाराम रावल निवासी गोयली, जो रावल ब्राह्मण है तथा अनुसूचित जाति में नहीं आता है, उसके व अन्य रावल ब्राह्मणों को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को निरस्त करने के आदेश सतर्कता समिति के निर्णय के अनुसार किए गए थे, उक्त आदेश की पालना रिपोर्ट एवं जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति एवं लोक जनसुनवाई विशिष्ठ रजिस्ट्रीकरण संख्या 8 दिनांक 19.09.2024 को 16 सुसंगत संलग्नक दस्तावेजों के साथ जिला कलक्टर सिरोही को शिकायती पत्र प्रस्तुत किया था, उसके संदर्भ में अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय सिरोही से पत्रांक/लो.सू.अ./रेकर्ड/2024/285 दिनांक 22.10.2024 को अपीलांट को पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उपखण्ड अधिकारी सिरोही को इस सम्बन्ध में पत्र लिखा था, उक्त पत्र पर उपखण्ड अधिकारी सिरोही द्वारा की गई प्रतिदिन कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिरोही के पत्र क्रमांक/आरटीआई/2023/366 दिनांक 24.08.2023 द्वारा श्री छोगाराम पुत्र श्री भीखाराम रावल निवासी गोयली को भेजे गए पत्र की जांच तहसीलदार सिरोही से करवाई गई, उक्त जांच रिपोर्ट की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति एवं उपखण्ड कार्यालय सिरोही के पत्र क्रमांक/जा.प्र./2024/939 दिनांक 20.11.2024 द्वारा अपीलांट को भेजे गए पत्र के आधार/तथ्यों एवं साक्ष्यों की प्रमाणित प्रति एवं सतर्कता समिति जिला कलक्टर कार्यालय सिरोही के पत्रांक/सतर्कता/2के/204–10 दिनांक 14.03.2000 एवं पत्रांक/सतर्कता/2000/569–571 दिनांक 03.05.2000 के द्वारा श्री छोगाराम पुत्र श्री भीखाराम रावल निवासी गोयली, जो रावल ब्राह्मण है तथा अनुसूचित जाति में नहीं आता है, उसके व अन्य रावल ब्राह्मणों को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को निरस्त करने के आदेश सतर्कता समिति के निर्णय के अनुसार किए गए थे, उक्त आदेश की पालना रिपोर्ट एवं जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति एवं लोक जनसुनवाई विशिष्ठ रजिस्ट्रीकरण संख्या 8 दिनांक 19.09.2024 को 16 सुसंगत संलग्नक दस्तावेजों के साथ जिला कलक्टर सिरोही को शिकायती पत्र प्रस्तुत किया था, उसके संदर्भ में अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय सिरोही से पत्रांक/लो.सू.अ./रेकर्ड/2024/285 दिनांक 22.10.2024 को अपीलांट को पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उपखण्ड अधिकारी सिरोही को इस सम्बन्ध में पत्र लिखा था, उक्त पत्र पर उपखण्ड अधिकारी सिरोही द्वारा की गई प्रतिदिन कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जांता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिरोही द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिरोही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.09.19 17:33:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner